नाम न्यायालय

केस संख्या 217/23

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 उपस्थित। बहस नि. आई सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/11/24 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	11/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 उप.। वकील उभयपक्षकारान की प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा.पत्र को स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/12/2023 को ता-फैसला दावा स्थायी (Absolute) किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रा.पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ अचरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 254 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में प्रार्थीगण के पूर्वज बिरदीचन्द पुत्र महादेव हिस्सा 1/2, सुवा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष 1/4 हिस्सा — लगातार उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

जगदीश व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर

217/2023 प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/11/2024	प्रतिवादीगण के पूर्वज गोविन्दराम पुत्र जैसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2030 में प्रार्थीगण के पूर्वजों का 3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके पश्चात् सम्वत् 2018 से 2021 एवं अग्रिम चौसाला जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम बदस्तूर अंकन रहा है। दौराने बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 254 के हाल खसरा नम्बरान 450 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 451 रकबा 0.57 है0, 452 रकबा 0.59 है0, 453 रकबा 0.75 है0, 460 रकबा 0.09 है0, 461 रकबा 0.04 है0, 462 रकबा 0.37 है0, 462/605 रकबा 0.02 है0, 456 मिन रकबा 0.05 है0, कुल किता-9 कुल रकबा 2.86 है0 बने तथा साबिक खसरा नम्बरान 255 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बरान 456 रकबा 0.82 है0, 459 रकबा 0.90 है0, कुल किता-2 कुल रकबा 1.72 है0 व साबिक खसरा नम्बर 277 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 455 रकबा 0.59 है0, 457 रकबा 0.03 है0, 458 रकबा 0.05 है0, 454 रकबा 0.06 है0, 796 मिन रकबा 0.14 है0 कुल किता-5 कुल रकबा 0.87 है0 बने है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 43 व पुराना खाता सं. 46 में दर्ज भूमि को बन्दोबस्त विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के नाम अंकन कर दिया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के साथ वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या नया 43 व पुराना 96 में खसरा नं. 1 रकबा 0.02 है0, 10 रकबा 0.29 है0, 2 रकबा 0.27 है0, 287 रकबा 1.15 है0, 382 रकबा 0.050 है0, 49 रकबा 0.02 है0, 50 रकबा 0.040 है0, 51 रकबा 0.16 है0, 9 रकबा 0.32 है0 भी जोड़ दिये गये उक्त खसरा नम्बर से प्रार्थीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। विवादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में दौराने बन्दोबस्त अप्रार्थीगण के पूर्वज महादेव प्रसाद, गणपत लाल पुत्रान नानगराम जाति बागड़ा ब्राह्मण दिनांक 27-12-1988 में ए.एस.ओ. (सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी) सांगानेर के समक्ष एक बेग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सन् 1971 में सर्वे के समय मेरे पिता नानगराम पुत्र गोविन्दराम के नाम हो चुका है किन्तु रिकार्ड लगातार उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:34:10 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

जगदीश व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर

केस संख्या 217/2023 T.9.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/11/2024	प्रभाव मे नहीं आने से रिकार्ड मे दुरुस्ती नहीं हुई है। जो भू-प्रबन्ध विभाग से आज्ञा पत्र क्रमांक संख्या 473/88 दर्ज कर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 16/3/1989 को बिना प्रार्थीगण के पूर्वजो को सुने आज्ञा पत्र के आधार पर ही प्रार्थीगण के पूर्वजो के हक अधिकार की भूमि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ अचरावाला के खसरा नम्बर 450 लगायत 462 तथा खसरा नम्बर 462/605 पर से हाक इन्द्राज खारिज किया जाकर रामलाल, गणपत लाल पि० नानगराम जाति बागडा के नाम नामान्तकरण खोले जाने के आदेश पारित किये गये। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भू-प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी अधिकारो को समाप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है ना ही किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार है विवादग्रस्त भूमि एवं तत्समय के 12 मील सर्वे के संदर्भ मे भू-प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर के क्रमांक भू.प्र.आ./ओ.आर. के/1/88/पार्ट-2/1576 दिनांक 12/7/1994 मे यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30/12/1993 एंव 12/01/1994 मे भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत तहसीलो मे भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा नामान्तकरण तस्दीक नहीं करने व नकल नहीं देने के निर्देश दिये है लेकिन राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्रों की पालना नहीं करते हुऐ भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम विलोपित करने अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2030 मे प्रार्थीगण के पूर्वजो का 3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण रिकार्डड काबिज खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथमदृष्टया केस व [illegible] का सन्तुलन पाये जाते है चूंकि वादीगण ने दावा घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात के आधार पर [illegible] तक अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया — लगातार (उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

जगदीश व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर

217/2023 T.9.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	उचित समझते है अतः आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/12/2023 को ता-फैसला दावा स्थायी Absolute किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मुल वाद के साथ सलग्न हो। सुनाया गया। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:34:10 IST
Reason: SelfAttested